

NOTE

विषय : रेलवे में महिला कर्मचारी-लिंग संबंधी विशिष्ट मुद्दों के निवारण हेतु कदम ।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड पत्र संख्या- ई (एनजी)/2018/टीआर /13(ई फ़ाइल नं-33263981) दिनांक-
24.06.2025 .

उपरोक्त संदर्भित पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संगलक :- उपरोक्त

सं. ई/एमसीएफ/आरबीएल/पॉलिसी/पार्ट-II(पार्ट)

दिनांक : 04.07.2025


सहायक कार्मिक अधिकारी /स्टाफ
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि : सादर सूचनार्थ :

1. सचिव महाप्रबंधक, आरेडिका, रायबरेली
2. समस्त प्रधान विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/उपविभागाध्यक्ष, आरेडिका, रायबरेली ।
3. जनरल सेक्रेटरी, ओबीसी & एससी/एसटी एसोसिएशन आरेडिका, रायबरेली।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/अराज-I, II & III, मुख्य कार्यालय अधीक्षक/समन्वय व & सभी डीलर /कार्मिक शाखा, आरेडिका, रायबरेली।
5. सभी नोटिस बोर्ड, आरेडिका, रायबरेली ।
6. निजी सचिव /पीसीपीओ को एमसीएफ वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)1-2018/टीआर/13
(ई-फाइल नं. 3263981)

नई दिल्ली, दिनांक: 24.06.2025

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,

विषय: रेलवे में महिला कर्मचारी - लिंग संबंधी विशिष्ट मुद्दों के निवारण हेतु कदम।

संदर्भ: (i) पीएनएम एआईआरएफ मद सं. 46/2018 और मद सं. 27/2025.

(ii) पीएनएम एनएफआईआर मद सं. 23/2015.

फेडरेशनों (एआईआरएफ और एनएफआईआर) द्वारा अपने संदर्भाधीन एजेंडा मदों के तहत इस कार्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि महिला कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यस्थलों पर सामना की जा रही लिंग संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों के कारण कोटि परिवर्तन के अनुरोध पर सम्यक तत्परता से कार्रवाई नहीं की जा रही है।

इस मामले की बोर्ड कार्यालय में जांच करवाई गई है और रेलों को निर्देश दिये गए हैं कि वे कर्मचारियों को न्यायसंगत और मानवीय कार्य स्थितियां उपलब्ध कराते हुए वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थलों को लिंग-निरपेक्ष बनाएं और ऐसे किसी भी मुद्दे पर तुरंत ध्यान दें, जिससे कार्यस्थलों पर किसी विशिष्ट लिंग के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है।

तदनुसार, क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों को सूचित किया जाता है कि वे कर्मचारियों के बीच लिंग संबंधी कठिनाई को कम करने के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप हेतु ऐसे किसी भी मुद्दे को उनकी गंभीरता के आधार पर निपटाएं।

संलग्नक: कुछ नहीं

(संजय कुमार)

उपनिदेशक/स्था.(अराजपत्रित)

रेलवे बोर्ड

ई-मेल आईडी- sanjay.kumar6@gov.in



प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
3. विभागीय एवं राष्ट्रीय परिषद, परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज़ फेडरेशन/एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2018/TR/13
(E-File No.3263981)

New Delhi, dated 24.06.2025

The General Manager (P)
All Zonal Railways & PUs

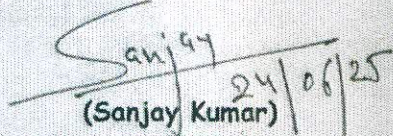
Sub: Female employees in Railways - Step to redress gender specific issues.
Ref: (i) PNM AIRF Item no. 46/2018 and Item no. 27/2025.
(ii) PNM NFIR Item no. 23/2015.

Federations (AIRF and NFIR) vide their Agenda Items under reference have brought to the attention of this office that the requests of female employees for change of categories on account of gender specific hardships, being faced by them at their work places, are not being dealt with due diligence.

The matter has been examined in Board's office and Railways are directed to ensure work places under their jurisdictions to be gender neutral providing just and humane working conditions for the staff and promptly attend to any issues which might create hardship to a specific gender at their work places.

Accordingly, Zonal Railways/PUs are advised to deal with any such issues on their merits for a suitable intervention to alleviate gender specific distress among employees.

DA: Nil


(Sanjay Kumar)
Dy. Director/Estt.(N)
Railway Board
E-mail Id- sanjay.kumar6@gov.in



-2-

No. E(NG)I-2018/TR/13(E-3263981)

New Delhi, dated 24.06.2025

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
12. The General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
13. The General Secretary, All India OBC Railway Employees Federation/Association, Rail Bhawan, New Delhi.


 for PED(IR)/Railway Board

Advisor/MR, PS/MoSR(R), MoSR (S), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR
 PSO to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and
 DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.),
 AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C),
 AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDRS(G), EDE(Res.),
 EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat),
 ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W),
 EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL),
 JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P),
 DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV,
 PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch,
 A/C-III and Code Revision Cell.

